न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 31/2022 बउनवानी अब्दुल समद बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार पुत्र श्री इस्माईल निवासी अंसारी मोहल्ला शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/63

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 7.2.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि आवेदक द्वारा दिनांक 6.12.2021 को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के एक प्रार्थना पत्र बाबत आवेदक के पिता इस्माईल पुत्र इब्राहिम निवासी मायापुर जेतपुरा तहसील खण्डार हाल निवासी अंसारी मोहल्ला स0मा0 को ग्राम मायापुर जेतपुरा तहसील खण्डार की कृषि भूमि ख0न0 15 रकबा 5 बीघा भूमि दिनांक 6.7.1968 को आवंटित भूमि के संबंध मे तहसीलदार खण्डार द्वारा खोले गये नामा0 प्रमाणित प्रति चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2022/543 दिनांक 27.4..2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 7.2..2022 के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार खण्डार के कार्यालय से है तथा तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 874 दिनांक 17.12.2021 से अपीलान्ट को चाही गयी सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.2.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर चाही गयी सूचना (दिनांक 6.12.2021 को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना) ,लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा जरिये पत्रांक 874 दिनांक 17.12.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। किन्तु 17.12.2021 के बाद उक्त प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को नही बताया गया है। अतः तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि माननीय प्रभारी मंत्री महो[illegible] प्रस्तुत [illegible] पत्र पर दिनांक 17.12.2021 से आज दिनांक तक की गयी कार्यवाही (नामा0 खोला गया है [illegible]) उसकी सूचना एवं यदि नामा0 नही खोला गया है तो उसका विधि[illegible] कारण) से अ[illegible]ट को 15 दिवस मे सूचित किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बा[illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:19:31 IST
Reason: SelfAttested